23-8-22	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 26-8-22 को पेश हो।
26-8-2022	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी बहस को समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 2-9-2022 को पेश हो।
2/9/22	वकील उभयपक्ष उप-। वास्ते बहस पत्रा दि० 12/9/22 को पेश हो।
12-9-2022	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 14-9-2022 को पेश हो।
14/9/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभय पक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/22 को पेश हो। रीडर
20-9-22	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 23-9-22 को पेश हो।
23-9-22	वकील उभयपक्ष उप-। वास्ते बहस पत्रावली दि० 28-9-22 को पेश हो।
28.9.22	वकील उभयपक्ष उप-। विभाजन स्कीम दि० 16.8.2022 के अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने पर दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः विभाजन स्कीम दि० 16.8.22 के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर संख्या हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कलेक्टर

(स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2022	29.3.2022	28.9.2022

रामसिंह पुत्र प्रभू, जाट निवासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाट निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि

उपस्थितः श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एड. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 5706 रकबा 0.79 हेक्टर, 5719 रकबा 0.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 हेक्टर वाके ग्राम उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। जिसका वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने मौखिक रूप से विभाजन हिस्से 1/2 – 1/2 कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि से पक्षकारान लगातार लाभांवित हो रहे है। पक्षकारान ने मौके पर भूमि का विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार खसरा नं0 5706 व 5719 के वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाये गये हिस्सा वादी रामसिंह का है तथा लाल रंग से दर्शाया गया हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 कमलसिंह की भूमि है। जिस पर मौके पर दोनो पक्ष काबिज रहकर लाभांवित होते चले आ रहे है। नजरी नक्शे मे काले रंग से दर्शाये गये खसरा नं0 5719 के हिस्से की भूमि रास्ते की भूमि है जिसकी चौडाई 20 फीट है तथा उक्त रास्ते की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 की शामलाती भूमि है। उक्त रास्ते को दोनो पक्ष अपने आवागमन के रूप मे काम मे लेते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 सगे भाई है। इसलिये दोनों में आगे चलकर कोई विवाद नही हो इसके बावत कई बार भूमि के मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन हेतु प्रतिवादी नं0 1 से कहा था तथा सहमति से विभाजन तहसील में चलकर करवाने का कथन किया परन्तु प्रतिवादी सं0 1 विभाजन के लिये हॉ करता रहा तथा बार बार टालम टोल की रीति अपनाता रहा परन्तु दिनांक 21.02.2022 को वादी प्रतिवादी सं0 1 से तहसील में चलकर विभाजन कराने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि मुझे विभाजन की कोई आवश्यकता नही है मैं तो बिना विभाजन ही भूमि को विक्रय कर दूंगा। इसलिये भूमि का

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

विभाजन तुम्हें कराना है तो करालो। इसलिये वादी को यह दावा बावत विभाजन भूमि पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण दिनांक 21.02.2022 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा रेवन्यु रिकोर्ड मे विभाजन करने से मना करने तथा बिना विभाजन भूमि को विक्रय करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख0न0 5706 रकबा 0.79 हेक्टर, 5719 रकबा 0.86 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 हेक्टर वाके ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी जिसका पक्षकारान ने अपने हिस्से 1/2 – 1/2 के अनुसार मौके पर विभाजन कर रखा है। जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित किया गया है के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि जिसे नजरी नक्शें में पीले रंग से दर्शाया गया है का खाता पृथक से कायम किया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का खाता पृथक से कायम किया जावें एवं नजरी नक्शें में दर्शाये गये काले रंग की भूमि की रास्ते की भूमि के रूप में शामलाती से दर्ज किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 775 ग्राम उदेईकलॉ, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है। दावे के साथ वादी ने नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है।

दिनांक 18.4.2022 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवायी गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 16.8.2022 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता हैः–

1. रामसिंह पुत्र प्रभू, जाट सा. गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0न0 5706/2 रकबा 0.3760 है0, ख0न0 5719/4 रकबा 0.4365 है0 कुल रकबा 0.8125 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

2. कमलसिंह पुत्र प्रभू, जाट सा. गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 5706/1 रकबा 0.4140 है0, ख0न0 5719/3 रकबा 0.2460 है0, ख0न0 5719/5 रकबा 0.1525 है0, कुल रकबा 0.8125 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।

3. रामसिंह, कमलसिंह पुत्र प्रभू जाट, सा. गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 5719 रकबा 0.0250 है0, कुल रकबा 0.0250 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0

उनवान

रामसिंह पुत्र प्रभू, जाट निवासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र प्रभूसिंह, जाट निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि

मुकदमा नं. — 31/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. रामसिंह पुत्र प्रभू, जाट सा. गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0न0 5706/2 रकबा 0.3760 है0, ख0न0 5719/4 रकबा 0.4365 है0 कुल रकबा 0.8125 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।
2. कमलसिंह पुत्र प्रभू, जाट सा. गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 5706/1 रकबा 0.4140 है0, ख0न0 5719/3 रकबा 0.2460 है0, ख0न0 5719/5 रकबा 0.1525 है0, कुल रकबा 0.8125 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।
3. रामसिंह, कमलसिंह पुत्र प्रभू जाट, सा. गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 5719 रकबा 0.0250 है0, कुल रकबा 0.0250 है0 ग्राम उदेईकलॉ रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.9.2022 को जारी किया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)